दिल्ली उच्च न्यायालय : नई दिल्ली

सुरक्षित : 08 अप्रैल, 2024

उद्घोषित: 16 अप्रैल, 2024

<u>सि.वा. (मू.प.) 274/2024</u>

गौरव भाटिया
पुत्र लेफ्टिनेंट श्री वीरेंद्र भाटिया,
कार्यालय, 16, सेंट्रल लेन में,
पहली मंजिल, बंगाली मार्केट,
नई दिल्ली-110001 ..... वादी

द्वारा: श्री संदीप सेठी, वरिष्ठ अधिवक्ता के साथ श्री उत्कर्ष जायसवाल और श्री विकास तिवारी, अधिवक्तागण।
श्री राघव अवस्थी और श्री मुकेश शर्मा, अधिवक्तागण।

बनाम

1. **नवीन कुमार**
यूट्यूब चैनल: आर्टिकल 19 इंडिया,
@आर्टिकल19इंडिया ..... प्रतिवादी सं. 1

2. **नीलू व्यास**
यूट्यूब चैनल: द न्यूज लॉन्चर,
@दन्यूजलॉन्चरहिंदी ..... प्रतिवादी सं. 2

3. **प्रोफेसर अखिल स्वामी** ..... प्रतिवादी सं. 3

4. **राजीव निगम**
यूट्यूब चैनल: राजीव निगम,
@राजीवनिगम ..... प्रतिवादी सं. 4

5. **बीबीआई समाचार**
यूट्यूब चैनल: बीबीआई समाचार,
@बीबीआईन्यूज20 ..... प्रतिवादी सं. 5

6. **संदीप सिंह**
एक्स हैंडल: @ऐक्टिविस्ट**संदीप** ..... प्रतिवादी सं. 6

7. **विजय यादव**
फोन: +91-9452821082,
एक्स हैंडल: @यादवविजय88 ..... प्रतिवादी सं. 7

8. **नेटफ्लिक्स**
एक्स हैंडल: @ नेटफ्लिक्सइंडिया ..... प्रतिवादी सं. 8

9. **सुनीता जाधव**
एक्स हैंडल: @सनमोर2901 ..... प्रतिवादी सं. 9

10. **गुरूजी**
x हैंडल: @ गुरूजी_123 .....प्रतिवादी सं. 10

11. **दाऊद नदाफ**

x हैंडल: @दाऊदनदाफ10 ..... प्रतिवादी सं. 11

12. **द्रखात्र**
x हैंडल: @ दुम्बिपत्र12 ..... प्रतिवादी सं. 12

13. **वायरस बाबा** आई.एन.डी.आई.ए. वाला
x हैंडल: @ वायरस_स्टूडियोज़ ..... प्रतिवादी सं. 13

14. **गूगल एल.एल.सी.**
1600 एम्फीथिएटर पार्कवे,
माउंटेन व्यू, सी.ए. 94043, यू.एस.ए., में स्थित
(यूट्यूब एल.एल.सी. की मूल कंपनी)

यूट्यूब के लिए निवासी शिकायत अधिकारी
गूगल एल.एल.सी. – भारत में संपर्क कार्यालय
यूनिट सं. 26, कार्यकारी केंद्र,
लेवल 8, डी.एल.एफ. सेंटर, संसद मार्ग,
कनॉट प्लेस, नई दिल्ली-110001 ..... प्रतिवादी सं. 14

15. **X** (पहले ट्विटर/ट्विटर इंक),
कार्यालय, 1355, मार्केट स्ट्रीट
सुइट 900, सैन फ्रांसिस्को,
सी.ए. 94103, यू.एस.ए. ..... प्रतिवादी सं. 15

द्वारा: श्री हेमराज सिंह, प्र.-1 के लिए अधिवक्ता। श्री मेहूद प्राचा, श्री सनवर एवं श्री जतिन भट्ट, प्र.-1 एवं प्र.-3 के लिए अधिवक्तागण।

श्री रुमान अली, श्री अस्किम नईम और श्री मुजक्किर ज़मा, प्र-6 के लिए अधिवक्ता।
श्री आदित्य गुप्ता, सुश्री ऐश्वर्या कान और श्री सौहार्द अलंग, प्र-6 के लिए अधिवक्तागण।

कोरम:

माननीय न्यायमूर्ति सुश्री नीना बंसल कृष्णा

निर्णय

नीना बंसल कृष्णा, न्या.

अंतर.आ.7674/2024 *(सि.प्र.सं., 1908 की धारा 151 सहपठित आदेश XXXIX नियम 1 और 2)*

1. वर्तमान आवेदन के द्वारा, आवेदक/वादी *अंतरिम एकपक्षीय* व्यादेश की मांग किया है जिससे प्रतिवादी सं. 14 और 15 को प्रतिवादी सं. 14 और 15 के प्लेटफार्म से प्रतिवादी सं. 1 से 13 के पोस्ट/वीडियो को हटाने का निर्देश दिया जाता है और प्रतिवादी सं. 1 से 13 के खिलाफ *अंतरिम एकपक्षीय* व्यादेश भी जारी की जाती है, जिससे उनके एजेंटों, प्रतिनिधियों, सहयोगियों, उत्तराधिकारियों, रिश्तेदारों आदि सहित वर्तमान वाद के लंबित रहने के दौरान वादी से संबंधित प्रतिवादी सं. 14 और 15 के प्लेटफॉर्म सहित सोशल मीडिया

प्लेटफॉर्म पर कोई भी अपमानजनक और हानिकारक सामग्री पोस्ट करने से रोका जा सके।

2. आवेदन में यह प्रस्तुत किया गया है कि वादी वरिष्ठ अधिवक्ता के प्रतिष्ठित पद पर है, यह पद उन्हें वर्ष 2019 में भारत के माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा प्रदान किया गया है। वरिष्ठ अधिवक्ता का यह सम्मान विधि के क्षेत्र में उनकी व्यापक विशेषज्ञता और अनुभव को दर्शाता है। आवेदक/वादी ने पहले उच्चतम न्यायालय बार एसोसिएशन के मानद सचिव के रूप में भी कार्य किया था। आवेदक/वादी की भूमिका विधिक पेशा के प्रति उनकी प्रतिबद्धता और उच्चतम स्तर पर विधिक समुदाय के मामलों में उनकी सक्रिय भागीदारी पर प्रकाश डालती है।

3. अपनी विधिक गतिविधियों के अलावा, आवेदक/वादी राजनीति के क्षेत्र में भी सक्रिय रूप से शामिल है। आवेदक/वादी भारतीय जनता पार्टी (संक्षेप में "भाजपा") में राष्ट्रीय प्रवक्ता के पद पर है, जो एक प्रमुख राजनीतिक इकाई है जिसे दुनिया की सबसे बड़ी राजनीतिक दल के रूप में जाना जाता है। यह प्रस्तुत किया गया कि एक प्रवक्ता के रूप में, आवेदक/वादी दल के विचारों का प्रतिनिधित्व करने और उनकी नीतियों और पहलों को जनता तक पहुंचाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है।

4. यह प्रस्तुत किया गया है कि विभिन्न सोशल मीडिया प्लेटफार्मों पर प्रकाशित अपमानजनक वीडियो को जनता ने लगभग लाखों बार देखा है और

इसके हजारों लाइक मिले हैं, जो महत्वपूर्ण जुड़ाव का संकेत देते हैं और यूट्यूब जैसे अत्यधिक लोकप्रिय प्लेटफार्मों पर अपमानजनक सामग्री के व्यापक प्रसार के कारण आवेदक/वादी की प्रतिष्ठा, आजीविका और समग्र कल्याण को काफी नुकसान पहुंचाने की क्षमता रखते हैं।

5. आवेदक/वादी ने प्रस्तुत किया है कि उसके पक्ष में *प्रथम दृष्टया* एक अच्छा मामला है और यदि उन अपमानजनक एक्स पोस्ट/ट्वीट और यूट्यूब वीडियो को इंटरनेट पर बने रहने की अनुमति दी जाती है तो उसे अपूरणीय क्षति होगी।

6. इसके अलावा, वादी का पलड़ा भारी है क्योंकि यदि अपमानजनक एक्स पोस्ट/ट्वीट और यूट्यूब वीडियो जो उसके खिलाफ घृणित आरोप लगाए हैं, उक्त प्लेटफार्मों को व्यादेश नहीं दी जाती है तो कोई नुकसान नहीं होगा।

7. अतः, प्रार्थना की जाती है कि सभी प्रतिवादीगण के खिलाफ *अंतरिम एकपक्षीय* व्यादेश दी जाए।

8. *वादी की ओर से विद्वान वरिष्ठ अधिवक्ता* ने प्रस्तुत किया कि वर्तमान वाद असाधारण प्रकृति का है क्योंकि वादी के खिलाफ लगाए गए किसी भी आरोप को साबित नहीं किया जा सका है।

9. भारत के माननीय मुख्य न्यायाधीश की अध्यक्षता में भारत के उच्चतम न्यायालय की पूर्ण न्यायपीठ ने इस घटना का स्वतः संज्ञान लिया है और इसने

न केवल अधिवक्ताओं के हड़ताल की निंदा की है, बल्कि आवेदक/वादी के बैंड खींचे जाने का भी न्यायिक अवेक्षा लिया है, इससे आगे कुछ भी नहीं हुआ है।

10. उपरोक्त के मद्देनजर, यह स्पष्ट है कि विचारण में प्रतिवादीगण के सफल होने की कोई संभावना नहीं है क्योंकि आपत्तिजनक यूट्यूब वीडियो और एक्स पोस्ट/ट्वीट लोकाधिकारी क्षेत्र में डाले गए हैं, जिसमें दिखाया गया है कि वादी को गौतम नगर की न्यायालय में अधिवक्तागण द्वारा पीटा गया है, जहां वादी एल्विश यादव नामक एक कुख्यात यूट्यूबर का प्रतिनिधित्व करने गया था, जिस पर हाल ही में रेव पार्टियों में साँप का जहर बेचने का आरोप लगाया गया था। यह भी कहा जा रहा है कि वादी को इसलिए पीटा गया था क्योंकि वह भाजपा का सदस्य और पदाधिकारी है तथा उसे विभिन्न टी.वी. बहसों में दल का बचाव करने का काम दिया गया था और आवेदक/वादी के कथित अहंकारी रवैये से विधिक बिरादरी नफरत करती है, जिसके कारण उन पर हमला किया गया।

11. यह भी प्रस्तुत किया गया है कि वीडियो के कुछ बिंदुओं पर, आवेदक/वादी ने सर्वथा अपमानजनक भाषा का प्रयोग किया है, जिस पर रोक लगाई जानी चाहिए, जैसा कि सिविल वाद सं. सि.वा.(मू.प.) 403/2022 शीर्षक *कैरावीव्यू (ओ.पी.सी.) प्राइवेट लिमिटेड और अन्य बनाम हिंदुस्तान टाइम्स/मिंट और अन्य* में अनुसरण किया गया है। कुछ डीपफेक वीडियो भी पोस्ट किए गए हैं जिन्हें हटाया जाना चाहिए।

12. **वादी की ओर से विद्वान वरिष्ठ अधिवक्ता ने** अपने तर्कों के समर्थन में सि.वा.(मू.प.) 134/2024 शीर्षक *शैविया शर्मा बनाम स्क्वाड्रन नियो और अन्य*, पर भरोसा किया है जिसमें इस न्यायालय की समन्वय न्यायपीठ ने सामग्री को हटाने का निर्देश दिया है क्योंकि इसमें वास्तविक जीवन में पीड़ित पर हिंसा भड़काने की क्षमता थी। इसी तरह, आप.वि.वा. 6347/2019 शीर्षक *अरविंद केजरीवाल बनाम राज्य और अन्य* में इस न्यायालय की समन्वय न्यायपीठ द्वारा यह कहा गया है कि अधिक जिम्मेदारी उन लोगों द्वारा वहन की जानी चाहिए जिनके सोशल मीडिया पर अधिक संख्या में अनुगामी हैं।

13. सिविल वाद सि.वा.(मू.प.) 95/2022 शीर्षक *डॉ. विक्रम संपत बनाम डॉ. ऑड्रे ट्रश्के और अन्य* में समन्वय न्यायपीठ द्वारा दिए गए दिनांक 18.02.2024 और 24.02.2022 के आदेश पर भी भरोसा किया गया है। इसके अलावा, रि.या.(आप.) 184/2014 शीर्षक *सुब्रमण्यम स्वामी बनाम भारत संघ, विधि मंत्रालय और अन्य* पर भी भरोसा किया गया है।

14. ***प्रतिवादी सं. 1 की ओर से उपस्थित विद्वान अधिवक्ता के साथ-साथ प्रतिवादी सं. 2 और 3 की ओर से उपस्थित विद्वान अधिवक्ता*** ने व्यादेश देने का पुरजोर विरोध किया। यह तर्क दिया गया है कि भाषण और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का अधिकार भारत के संविधान के तहत गारंटीकृत इस देश के प्रत्येक नागरिक का संवैधानिक अधिकार है, जिसे वादी के कहने पर बाधित नहीं किया जा सकता है।

15. प्रतिवादी सं. 1 ने आवेदक/वादी से संबंधित न्यायालय में घटित घटना की केवल उसी रूप में रिपोर्ट की है। घटना की रिपोर्टिंग का अधिकार वादी के लिए अपमानजनक और नीचा दिखलानेवाला हो सकता है लेकिन समाचार की सरल रिपोर्टिंग को *मानहानिकारक* नहीं कहा जा सकता है। घटना को सच बताया गया है और केवल भाषण और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के अधिकार के प्रयोग में, वादी के कहने पर व्यादेश नहीं दी जा सकती है। आगे प्रस्तुत किया गया है कि यह वीडियो, किसी भी स्थिति में, निजी बना दिया गया है और यह लोगों को देखने के लिए खुला नहीं है।

16. इसी तरह प्रतिवादी सं. 2 और 3 की ओर से 20.03.2024 के यूट्यूब वीडियो का बचाव करने के लिए इस तरह के तर्क दिए गए हैं। उक्त वीडियो प्रतिवादी सं. 2 द्वारा अपलोड किया गया था। पुनः प्रतिवादी सं. 2 और 3 की ओर से उसी आधार पर तर्क दिया गया जिस आधार पर प्रतिवादी सं. 1 की ओर से उत्तेजित किया गया था।

17. आगे यह तर्क दिया गया है कि आवेदक/वादी ने स्वयं अपने वादपत्र में कहा है कि दिनांक 20.03.2024 की घटना में, उसके अधिवक्ता बैंड को एक अधिवक्ता द्वारा छीन लिया गया था, जो विद्वान जिला न्यायाधीश की उपस्थिति में न्यायालय में मौजूद था।

18. आगे यह कहा गया है कि भले ही वादी मामले को स्थगित करने और तारीख लेने के लिए सहमत हो गया था, लेकिन फिर भी *"उसके साथ किसी*

खास अधिवक्ता द्वारा हाथापाई किया गया, जिसकी पहचान अभी तक नहीं हो पाई है"।

19. प्रतिवादी सं. 2 और 3 की ओर से यह प्रस्तुत किया गया कि आवेदक/वादी ने स्वयं कहा है कि उसके साथ हाथापाई की गई थी और उक्त घटना की रिपोर्ट करते समय, प्रतिवादी सं. 2 और 3 केवल इस पहलू पर बहस कर रहे थे, यह उनका मौलिक अधिकार है। वास्तव में घटित किसी घटना की मात्र रिपोर्टिंग को व्यादेश के द्वारा रोका नहीं जा सकता है।

20. *प्रतिवादी सं. 4 और 5 की ओर से किसी ने भी वाद का विरोध नहीं किया है।*

21. ***प्रतिवादी सं. 6 की ओर से उपस्थित विद्वान अधिवक्ता*** ने प्रस्तुत किया कि यद्यपि उन्हें वादी के साथ हुई अप्रिय घटना के प्रति पूरी सहानुभूति है, लेकिन उन्होंने प्रस्तुत किया कि प्रतिवादी सं. 6 एक सामाजिक कार्यकर्ता/पत्रकार है और आम तौर पर भारत के संविधान द्वारा गारंटीकृत भाषण और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के अपने मौलिक अधिकार के तहत सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म का उपयोग करता है। हालांकि आवेदक/वादी ने आरोप लगाया है कि जवाब देने वाले प्रतिवादी द्वारा पोस्ट की गई सामग्री मानहानिकारक है और उसने अंतरिम व्यादेश की मांग की है, लेकिन यह ध्यान दिया जाना चाहिए कि वादी एक राजनेता है और उसकी गतिविधियां लोक हित की है और उसे आलोचना, व्यंग्य और समाचारों का स्वागत हल्के-फुल्के अंदाज में करना

चाहिए। माना कि गौतमबुद्ध नगर स्थित जिला न्यायालय में एक अप्रिय घटना घटी, जिसमें वादी के साथ हाथापाई की गई। प्रतिवादी सं. 6 ने इस घटना के संबंध में जो सुनाया जा रहा था उसे मान्य करने के लिए घटना के वीडियो के लिए एक अनुरोध पोस्ट किया था। प्रतिवादी सं. 6 ने एक चुटकुला चित्रात्मक रूप में पुनः पोस्ट किया, जो उसके द्वारा नहीं बनाया गया था, लेकिन हजारों अन्य लोगों द्वारा साझा किया गया था। इसके अलावा, वादपत्र में शिकायत की गई अन्य पोस्ट पहले ही जवाब देने वाले प्रतिवादी द्वारा हटा ली गई हैं।

22. प्रतिवादी सं. 6 की ओर से आगे तर्क दिया गया कि कोई भी पोस्ट प्रकृति में मानहानिकारक नहीं होता है और वास्तव में भारत के संविधान के तहत मनुष्य के भाषण और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के मौलिक अधिकार द्वारा संरक्षित है। प्रतिबंध लगाने के एकमात्र मानदण्ड भारत के संविधान के अनुच्छेद 19(2) में प्रदान किए गए हैं और वर्तमान मामला उन मानदण्डों के भीतर नहीं आता है। अंतरिम व्यादेश प्रदान करने से अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता गंभीर रूप से बाधित होगी जैसा कि *टाटा संस लिमिटेड बनाम ग्रीनपीस इंटरनेशनल और अन्य,* 2011 एस.सी.सी. ऑनलाइन दिल् 466 के मामले में इस न्यायालय द्वारा अभिनिर्धारित किया गया है। *पुष्प शर्मा बनाम डी.बी. कॉर्प लिमिटेड,* 2018 एस.सी.सी. ऑनलाइन दिल्. 11537 में, यह देखा गया कि सार्वजनिक हस्तियों को कथित मानहानि या मानहानि के संबंध में व्यादेश राहत पाने के लिए बहुत उच्च सीमा को पूरा करना पड़ता है। जब तक यह सीमा पर प्रदर्शित नहीं किया

जाता है कि आपत्तिजनक सामग्री दुर्भावनापूर्ण या स्पष्ट रूप से झूठी है, तब तक व्यादेश नहीं दी जानी चाहिए।

23. *इंदु जैन बनाम फोर्ब्स इनकॉर्पोरेटेड*, 2007 एस.सी.सी. ऑनलाइन दिल्. 1424 के मामले में, यह अभिनिर्धारित किया गया था कि सार्वजनिक हस्तियों हालांकि उचित परिस्थितियों में अपनी निजता का सम्मान करने का हकदार है, लेकिन उन्हें यह स्वीकार करना चाहिए कि उनकी सार्वजनिक स्थिति के कारण उन्हें यह उम्मीद करनी होगी और स्वीकार करना होगा कि उसके कार्यों की मीडिया द्वारा अधिक बारीकी से जांच की जाएगी।

24. वर्तमान मामले में, यदि आवेदक/वादी को अंतरिम चरण में व्यादेश राहत दी जाती है, तो यह वाद को डिक्रीत करने के समान होगा।

25. इसके अलावा, आवेदक/वादी यह प्रदर्शित करने में सक्षम नहीं है कि सभी प्रतिवादीगण का बयान असत्य था और इस घटक की अनुपस्थिति में, प्रतिवादीगण का औचित्यपूर्ण बचाव सफल होगा। वर्तमान वाद और आवेदन में सत्य ही पूर्ण बचाव है। *राम जेठमलानी बनाम सुब्रमण्यम स्वामी, 2006* एस.सी.सी. ऑनलाइन दिल्. 14 के मामले का संदर्भ दिया गया है।

26. प्रतिवादी सं. 6 के विद्वान अधिवक्ता ने आगे तर्क दिया है कि वाद में आवेदक/वादी द्वारा नुकसान की मात्रा पहले ही निर्धारित की जा चुकी है और किसी भी अंतरिम व्यादेश की अनुपस्थिति से उसे कोई नुक्सान नहीं होगा, जिसके लिए उसने *कैलाश गहलोत बनाम विजेंद्र गुप्ता और अन्य,*

एम.ए.एन.यु./डीई/0749/2022 के मामले पर भरोसा किया है। यह दावा किया गया कि आवेदक/वादी वाद हेतुक का खुलासा करने में विफल रहा है और वाद पोषणीय नहीं है।

27. *प्रतिवादी संख्या 4, 5, 7 से 13 तक उपस्थित नहीं हुए हैं और न ही उन्होंने वाद में कोई दलील दिया।*

28. **प्रस्तुतियाँ सुनी गईं।**

29. आवेदक/वादी ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म से आपत्तिजनक एक्स पोस्ट/ट्वीट और वीडियो को हटाने के लिए प्रतिवादीगण को निर्देश देने के लिए स्थायी और अनिवार्य व्यादेश के अलावा 2,00,00,100 रुपये की राशि हर्जाने देने के लिए वाद दायर किया गया है।

30. यह वाद 20.03.2024 की एक अप्रिय घटना से संबंधित है, जब अधिवक्तागण की हड़ताल होने के बावजूद आवेदक/वादी अपने परिधान पहनकर गौतमबुद्ध नगर की न्यायालय में पेश हुए थे। वादी के अनुसार, जब उन्हें गौतमबुद्ध नगर बार एसोसिएशन के अधिकारियों द्वारा अवगत कराया गया कि उन्होंने हड़ताल का आह्वान किया है, तो वह मामले के स्थगन के लिए तुरंत सहमत हो गए, जिसके बावजूद उनके साथ एक विशेष स्थानीय अधिवक्ता द्वारा हाथापाई की गई और उनका अधिवक्ता बैंड छीन लिया गया। इस घटना को विभिन्न सोशल मीडिया प्लेटफार्मों पर बड़े पैमाने पर रिपोर्ट किया गया और विभिन्न समाचार चैनलों पर बहस का विषय भी बन गया जो विधिवत

प्रकाशित किए गए थे; इसके अलावा कई एक्स पोस्ट/ट्वीट्स और मीम्स भी हैं जो बड़े पैमाने पर जनता द्वारा विभिन्न सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर पोस्ट किए गए हैं।

31. वादी न केवल भारत के उच्चतम न्यायालय द्वारा वरिष्ठ अधिवक्ता के रूप में सम्मानित किए गए सबसे प्रतिष्ठित वरिष्ठ अधिवक्ताओं में से एक हैं, बल्कि भाजपा का प्रवक्ता भी है, जिन पर दल के विचारों को प्रस्तुत करने और जनता तक दल की नीतियों और पहलों को पहुँचाने की जिम्मेदारी है। आवेदक/वादी एक प्रमुख और सामाजिक व्यक्ति हैं, जो वादपत्र में अपने स्वयं के प्रस्तुतीकरण को सामने लाया है।

32. *मॉर्गन स्टेनली म्यूचुअल फंड बनाम कार्तिक दास,* (1994) 4 एस.सी.सी. 225 के मामले में उच्चतम न्यायालय की 3-न्यायाधीशों की न्यायपीठ ने कहा था कि एकपक्षीय व्यादेश केवल असाधारण परिस्थितियों में दी जानी चाहिए और जिन कारकों पर विचार किया जाना चाहिए वे हैं: *(i) क्या वादी को अपूरणीय या गंभीर गड़बड़ी होगी, (ii) क्या एकपक्षीय व्यादेश से इनकार करने से उसके देने से अधिक अन्याय होगा, (iii) वह समय जब वादी ने पहली बार शिकायत किए गए कृत्य को देखा, (iv) क्या पक्षकार ने कुछ समय के लिए सहमति दे दी थी, (v) क्या आवेदक/वादी ने व्यादेश की मांग करने के लिए सद्भावना से संपर्क किया है, और (vi) क्या ऐसा एकपक्षीय व्यादेश सीमित अवधि के लिए होगा।*

33. मीडिया प्लेटफार्मों या पत्रकारों के खिलाफ मानहानि के वादों में, प्रतिष्ठा और गोपनीयता के अधिकार के साथ-साथ अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के मौलिक अधिकार के संतुलन के अतिरिक्त विचार को भी ध्यान में रखा जाना चाहिए। पत्रकारिता की अभिव्यक्ति की रक्षा के संवैधानिक आदेश को कम करके नहीं आंका जा सकता है और न्यायालयों को अंतरिम व्यादेश देते समय सावधानी बरतना चाहिए।

34. *बोनार्ड बनाम पेरीमैन,* (1891) 95 इला. ई.आर. 965 के मामले में, मानहानि के वादों में अंतरिम व्यादेश देने के लिए निर्णयज विधि सिद्धांत निश्चित की गई है, जिसे बोनार्ड मानक के रूप में जाना जाता है। अपील न्यायालय ने अभिनिर्धारित किया कि मानहानि के लिए कार्रवाई की विषय-वस्तु इतनी विशेष होती है कि गलत को रोकने और पूर्वानुमान लगाने के लिए किसी कार्रवाई के विचारण से पहले व्यादेश द्वारा हस्तक्षेप करने के अधिकार क्षेत्र का प्रयोग करते समय असाधारण सावधानी बरतनी पड़ती है। अपील न्यायालय ने निम्नानुसार अभिनिर्धारित किया: -

> *"... लेकिन यह स्पष्ट है कि मानहानि के लिए कार्रवाई की विषय-वस्तु इतनी विशेष होती है कि गलत को रोकने और पूर्वानुमान लगाने के लिए किसी कार्रवाई के विचारण से पहले व्यादेश द्वारा हस्तक्षेप करने के अधिकार क्षेत्र का प्रयोग करते समय असाधारण सावधानी बरतनी पड़ती है। अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का अधिकार लोक हित के लिए है जो व्यक्तियों को होना चाहिए, और वास्तव में, उन्हें तब तक बिना किसी बाधा के प्रयोग करना चाहिए, जब*

तक कि कोई गलत कार्य नहीं किया गया है; और, जब तक कि कथित मानहानि असत्य न हो, तब तक कोई गलत कार्य नहीं किया जाता है; लेकिन, इसके विपरीत, अक्सर कोई कथित मानहानि की घोषणा और पुनरावृत्ति में एक बहुत ही अच्छा कार्य किया जाता है। जब तक यह स्पष्ट नहीं हो जाता कि कथित मानहानि असत्य है, तब तक यह स्पष्ट नहीं होता है कि किसी भी अधिकार का उल्लंघन किया गया है; और भाषण की स्वतंत्रता को अप्रतिबंधित छोड़ने का महत्व मानहानि के मामलों में अंतरिम व्यादेश देने में अत्यंत सावधानी और सतर्कता से निपटान करने का एक मजबूत कारण है।

35. <u>*फ्रेजर बनाम इवांस*</u>, (1969) 1 क्यू.बी. 349 में, अपील न्यायालय ने *बोनार्ड सिद्धांत* का पालन किया और निम्नानुसार टिप्पणी की:-

"... जहां तक लेख श्री फ्रेजर के लिए मानहानिकारक होगा, यह स्पष्ट है कि उन्हें व्यादेश नहीं मिल सकता है। न्यायालय किसी लेख के प्रकाशन पर रोक नहीं लगाएगा, भले ही वह मानहानिकारक हो, जब प्रतिवादी कहता है कि वह इसे सही ठहराने या लोक हित के मामले पर निष्पक्ष टिप्पणी करने का आशय रखता है। यह तब से कई वर्षों से स्थापित है (बोनार्ड बनाम फेरीमैन 1891; 2 अध्याय 269)। "कभी-कभी दिया गया कारण यह है कि औचित्य और निष्पक्ष टिप्पणी का बचाव जूरी के लिए है, जो संवैधानिक अधिकरण है, न कि न्यायाधीश के लिए। लेकिन एक बेहतर कारण जनहित में महत्व है कि सच्चाई सामने आनी चाहिए। ..."

36. उपरोक्त निर्णयों का उल्लेख करते हुए, *ब्लूमबर्ग टेलीविज़न प्रोडक्शन सर्विसेज इंडिया प्राइवेट लिमिटेड और अन्य बनाम जी एंटरटेनमेंट एंटरप्राइजेज लिमिटेड,* वि.अनु.या.(सि.) सं. 6696/2024 के हालिया मामले में उच्चतम न्यायालय ने 22.03.2024 को फैसला सुनाया था, जिसमें कहा गया था कि किसी लेख के प्रकाशन के खिलाफ विचारण-पूर्व व्यादेश देने से लेखक की अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के अधिकार और जनता के जानने के अधिकार पर गंभीर प्रभाव पड़ सकता है। व्यादेश, विशेष रूप से, *एकपक्षीय* यह स्थापित किए बिना नहीं दिया जाना चाहिए कि प्रतिबंधित करने की मांग की गई सामग्री दुर्भावनापूर्ण या स्पष्ट रूप से झूठी है। विचारण शुरू होने से पहले लापरवाह तरीके से अंतरिम व्यादेश प्रदान करने से सार्वजनिक बहस को दबा दिया जाता है। इसलिए, न्यायालय को एकपक्षीय व्यादेश देने से बचना चाहिए, सिवाय उन अपवादात्मक मामलों के जहां प्रतिवादी द्वारा प्रस्तुत बचाव निस्संदेह विचारण में विफल हो जाएगा। अन्य सभी मामलों में, सामग्री के प्रकाशन के खिलाफ व्यादेश पूर्ण विचारण के बाद ही दी जानी चाहिए।

37. *करतार सिंह बनाम पंजाब राज्य,* 1956 एस.सी.आर. **476** के मामले में रेखांकित किया गया था कि "*सार्वजनिक पदों पर आसीन लोगों को अपने ऊपर किए गए टिप्पणियों के मामले में बहुत अधिक संवेदनशील नहीं होना चाहिए*"। तथापि, एक चेतावनी यह दी गई कि जब भी न्यायालय से इस प्रकार की अंतर्वर्ती या *एकपक्षीय* व्यादेश राहत मांगी जाती है, तो *प्रथम दृष्टया* मामले पर

विचार करने की सीमा अनिवार्य रूप से बहुत उच्च स्तर की होनी चाहिए। ऐसे स्थापित नियमों और सिद्धांतों का पालन नहीं करने का परिणाम यह होगा कि न्यायालय अनजाने में, अपने आदेशों के द्वारा, सार्वजनिक बहस को दबा देगा। इस देश के नागरिक समाचार और निष्पक्ष टिप्पणी की अपेक्षा करते हैं कि क्या मीडिया घरानों या पत्रकारों सहित सार्वजनिक संस्थान ठीक से काम कर रहे हैं। ऐसे आरोपों के मामलों में, जिसके परिणामस्वरूप जनता तक प्रसारित समाचार की विश्वसनीयता पर विवाद उत्पन्न होता है, यह भी सार्वजनिक बहस का विषय है, जब तक कि शुरू में यह प्रदर्शित न कर दिया जाए कि आपत्तिजनक सामग्री दुर्भावनापूर्ण या स्पष्टतः झूठी है, तब तक कोई भी कारण दर्ज किए बिना *एकपक्षीय* व्यादेश नहीं दी जानी चाहिए। यदि न्यायालय के आदेश नियमित रूप से बहस को दबाते हैं, तो राज्य द्वारा विधि द्वारा जो नहीं किया जा सकता है, वह अप्रत्यक्ष रूप से उन संवैधानिक मानकों को संतुष्ट किए बिना प्राप्त किया जा सकेगा जो बोलने की स्वतंत्रता के मूल्यवान अधिकार को उल्लंघन की अनुमति देते हैं।

38. इसी तरह, *इंदु जैन* (पूर्वोक्त) के मामले में यह अनुपालन किया गया कि सार्वजनिक पदों पर बैठे लोगों को यह स्वीकार करना होगा कि उनके कार्यों की मीडिया द्वारा अधिक बारीकी से जांच की जाएगी।

39. *अमीश देवगन बनाम भारत संघ*, (2021) 1 एस.सी.सी. के मामले में उच्चतम न्यायालय ने *सुब्रमण्यम स्वामी* (पूर्वोक्त) को संदर्भित किया, जिसमें

यह फैसला सुनाया गया था कि गरिमा व्यक्तित्व का सर्वोत्कृष्ट गुण है और अनुच्छेद 21 के तहत गारंटीकृत और संरक्षित अधिकारों के सम्मान और प्रतिष्ठा के साथ एक बुनियादी घटक है। गरिमा व्यक्तिगत अधिकारों का एक हिस्सा है जो सामूहिक सद्भाव और समाज के हित का मौलिक आधार बनाती है। यद्यपि भाषण और अभिव्यक्ति का अधिकार इस अर्थ में पूर्णतः पवित्र है कि यह व्यक्तिगत विकास और लोकतंत्र की प्रगति के लिए आवश्यक है, जो असहमति की आवाज को मान्यता देता है, असंगत विचारों के प्रति सहिष्णुता और विभिन्न आवाजों को स्वीकार करता है, फिर भी अनुच्छेद 14 के तहत समानता का अधिकार और अनुच्छेद 21 के भाग के रूप में गरिमा के अधिकार का अपना महत्व है।

40. *आर. राजगोपाल उर्फ आर.आर. गोपाल और अन्य बनाम तमिलनाडु राज्य और अन्य*, (1994) 6 एस.सी.सी. 632 के मामले में, हार्विच के लॉर्ड ब्रिज के भाषण का संदर्भ दिया गया था, उन्होंने कहा जो लोग सरकार में पद धारण करते हैं और लोक प्रशासन के लिए जिम्मेदार थे, उन्हें हमेशा आलोचना के लिए खुला होना चाहिए। इस तरह की आलोचना को दबाने या रोकने का कोई भी प्रयास सबसे कपटपूर्ण और आपत्तिजनक प्रकार की राजनीतिक सेंसरशिप के बराबर है। साथ ही, यह भी कम स्पष्ट नहीं है कि सार्वजनिक मामलों का संचालन करने वाले लोगों पर उनके राजनीतिक विरोधियों द्वारा की गई आलोचना का मुख्य उद्देश्य उनके नेतृत्व में जनता के विश्वास को कम करना

और मतदाताओं को यह विश्वास दिलाना है कि वर्तमान में पद पर आसीन लोगों की तुलना में विरोधी इस कार्य को बेहतर ढंग से करेंगे। इसलिए, ऐसे बयानों को, जिनसे सार्वजनिक कार्यों के संचालन में जनता का विश्वास कम होने की संभावना हो, अत्यंत संदेह की दृष्टि से देखा जाना चाहिए।

41. *पुष्प शर्मा* (पूर्वोक्त) के मामले में, इस न्यायालय की समन्वय न्यायपीठ ने टिप्पणी की कि इस नए मीडिया युग में, विशेष रूप से इलेक्ट्रॉनिक मीडिया और इंटरनेट अधिक चुनौतियां पेश करते हैं। लेकिन इससे अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के बहुमूल्य अधिकार को कम नहीं किया जाना चाहिए, जो कि, यदि कोई कहे तो, लोकतंत्र की जीवनदायिनी है। सार्वजनिक हस्तियों और सार्वजनिक संस्थाओं की अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता से संबंधित मुद्दों में हितकर और स्थापित सिद्धांत यह है कि कथित मानहानि या बदनामी के संबंध में व्यादेश राहत प्राप्त करने के लिए बहुत उच्च सीमा को पूरा करना आवश्यक है।

42. वर्तमान मामले के तथ्यों पर अब पूर्वोक्त सिद्धांतों के आलोक में विचार किया जा सकता है ताकि यह पता लगाया जा सके कि व्यादेश राहत उन परिस्थितियों में उचित है या नहीं जैसा कि वादपत्र में बताया गया है। यह विवादित नहीं है कि वादी न केवल वरिष्ठ अधिवक्ता के प्रतिष्ठित पद पर है और विधिक क्षेत्र में अपनी विशेषज्ञता और अनुभव के लिए जाना जाता है, बल्कि इस देश की सबसे प्रमुख राजनीतिक दल का प्रवक्ता भी है और इसका प्रवक्ता होने के नाते, दल के विचारों को प्रस्तुत करने और सार्वजनिक रूप से अपनी

नीतियों और पहलों के बारे में संवाद करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। जैसा कि उपरोक्त निर्णयों में चर्चा की गई है, जबकि सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर सार्वजनिक आलोचना और कथित अपमानजनक एक्स पोस्ट/ट्वीट की सीमा बहुत अधिक है, लेकिन किसी व्यक्ति की व्यक्तिगत गरिमा और सम्मान को भाषण और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के अधिकार के आधार पर बदनाम करने या अपमान करने की अनुमति नहीं दी जा सकती है। मानहानि और सार्वजनिक आलोचना के बीच एक महीन रेखा होती है तथा न्यायालयों के समक्ष प्रतिस्पर्धी दावों और अधिकारों के बीच इस नाजुक संतुलन को बनाए रखना कठिन कार्य होता है।

43. यहां मामला यह है कि आवेदक/वादी एक सार्वजनिक व्यक्ति होते हुए भी, मुवक्किल का बचाव करने के लिए न्यायालय में उपस्थित होने के अपने पेशेवर कर्तव्य का निर्वहन कर रहा है। आवेदक/वादी के साथ हाथापाई और न्यायालय में पेश होने के दौरान उनके अधिवक्ता बैंड को छीनना सबसे निंदनीय कार्य है, जैसा कि उच्चतम न्यायालय ने इस मामले का स्वत: संज्ञान लेते हुए कहा है। न्यायालय के समक्ष प्रतिनिधित्व के लिए विधिक सहायता का अधिकार अनुच्छेद 21 के तहत संरक्षित एक संवैधानिक अधिकार है और यह विधि वृत्तिक पर अपनी क्षमता के अनुसार, पूरी लगन से अपने दायित्वों का निर्वहन करने का कर्तव्य भी डालता है। गौतमबुद्ध नगर स्थित न्यायालय में अधिवक्ता भले ही हड़ताल पर रहे हों, लेकिन प्रासंगिक बात यह है कि जब वादी को

सूचित किया गया, तो वह स्थगन के लिए सहमत हो गया, जो वास्तव में मंजूर कर लिया गया था। इन परिस्थितियों में, जैसा कि उन्होंने अपने वादपत्र में कहा है, उनका बैंड खींचना या हाथापाई करना, उन पर किया गया सबसे निंदनीय कृत्य था।

44. इस बात से इनकार नहीं किया जा सकता है कि प्रेस और मीडिया का कर्तव्य है कि वे जनता के लाभ के लिए इस घटना को रिपोर्ट करें, लेकिन इस घटना के प्रति सच्चा बने रहने भी उनका कर्तव्य था। वादी को पीटे जाने वाले डीपफेक वीडियो और आवेदक/वादी के पीटे जाने के दावे, और कुछ नहीं बल्कि अति-सनसनीखेजीकरण करना और तथ्यों का चित्रण है, जो स्पष्ट रूप से झूठे हैं। *प्रथम दृष्टया* इस तरह के वीडियो के प्रसार करने या चलाने से न केवल वादी की प्रतिष्ठा को नुकसान पहुंचा है, जैसा कि उनके द्वारा दावा किया गया है, बल्कि भविष्य में किसी भी समय वादी के खिलाफ प्रसारित और इस्तेमाल किए जाने की खतरा की लगातार संभावना है। भविष्य में वीडियो के दुरुपयोग का आसन्न खतरा, जो *प्रथम दृष्टया* आवेदक/वादी को ऐसे प्रकाश में चित्रित कर रहा है जो सही तथ्य नहीं हो सकता है, इसलिए वाद के अंतिम निर्णय होने तक लोकाधिकारी क्षेत्र में रखने पर रोक लगाई जानी चाहिए।

45. यदि ऊपर उल्लिखित डीपफेक वीडियो और ट्वीट आदि को लोकाधिकारी क्षेत्र में रहने दिया जाता है, तो वादी को *अपूरणीय क्षति और चोट* पहुंचेगी, इससे विधिज्ञ के एक सम्मानित सदस्य के रूप में उनकी प्रतिष्ठा को नुकसान

पहुंचता रहेगा, जिससे वादी को अपूरणीय क्षति होगी। यदि सामग्री को लोकाधिकारी क्षेत्र में रहने से रोक दिया जाता है, तो प्रतिवादीगण को कोई नुकसान नहीं होगा जब तक कि वाद का न्यायनिर्णयन गुणागुण के आधार पर नहीं किया जाता है, जबकि इन ट्वीट्स/मीम्स में भविष्य में वादी को बदनाम करने की क्षमता है और व्यावहारिक रूप से उसकी प्रतिष्ठा को हुए नुकसान की कोई भरपाई नहीं हो सकेगी। हो सकता है कि आवेदक/वादी ने मानहानि और अपनी प्रतिष्ठा के लिए नुकसान की मात्रा निर्धारित की हो, लेकिन अगर ऐसे वीडियो को सार्वजनिक रूप से रहने की अनुमति दी जाती है, तो पहले से ही हुआ नुकसान भविष्य में भी कायम रहेगा। *इसलिए, आवेदक/वादी द्वारा मांगी गई व्यादेश प्रदान नहीं किए जाने की स्थिति में आवेदक/वादी को अपूरणीय क्षति होगी।*

46. वादी *का पलड़ा भारी* है क्योंकि इन वीडियो को निजी बनाकर या उन्हें सार्वजनिक प्लेटफार्मों पर उपलब्ध होने से रोककर, किसी भी तरह से, भाषण और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के प्रतिवादीगण के अधिकारों का उल्लंघन नहीं होगा, जो वे किसी भी दशा में, परिभाषित मानदण्डों के भीतर प्रयोग कर सकते हैं। हालांकि, इन वीडियो और एक्स पोस्ट/ट्वीट्स आदि के लोकाधिकारी क्षेत्र में बने रहने के परिणामस्वरूप होने वाली असुविधा से ऐसी असुविधा होने की संभावना है, जिसकी भरपाई या क्षतिपूर्ति भविष्य में अन्यथा संभव नहीं हो सकती है।

47. यह तर्क दिया गया कि इस स्तर पर व्यादेश की कोई राहत देना, यह वाद की डिक्री करने के समान होगा। यह तर्क स्पष्टतः भ्रामक है क्योंकि व्यादेश भविष्य में नुकसान को रोकने के लिए है न कि पिछले कर्मों का निवारण करने के लिए।

48. इस संदर्भ में, यह ध्यान दिया जा सकता है कि निम्नलिखित वीडियो की स्थिति जिसके लिए व्यादेश की मांग कर रहे हैं, निम्नानुसार है: -

क्र.सं.	**विवरण**	**टिप्पणियाँ**
1.	दस्तावेज़ - 1: दिनांक 20.03.2024 के यूट्यूब वीडियो का सच्चा स्क्रीनशॉट, जिसका शीर्षक है "पुलिस वकीलों से छुड़ाती, गौरव भाटिया की धुलाई हो चुकी थी। *नवीन कुमार*" प्रतिवादी सं. 1 द्वारा अपलोड किया गया है।	वीडियो को निजी बनाया गया है, इसे सार्वजनिक नहीं किया जाना है।
2.	दस्तावेज़-2: दिनांक 20.03.2024 के यूट्यूब वीडियो का सही अनुलिपि, जिसका शीर्षक है "पुलिस वकीलों से छुड़ाती, गौरव भाटिया की धुलाई हो चुकी थी। *नवीन कुमार*" प्रतिवादी सं. 1 द्वारा अपलोड किया गया है।	
3.	दस्तावेज़-3: दिनांक 20.03.2024 यूट्यूब वीडियो का सच्चा स्क्रीनशॉट, जिसका शीर्षक है "बी.जे.पी प्रवक्ता *गौरव भाटिया को वकीलों ने कूट दिया गोदी मिडिया मुँह छिपाती फिर रही !* द न्यूज लांचर"	दलील दिया गया।

	प्रतिवादी सं. 2 द्वारा अपलोड किया गया है।	
4.	दस्तावेज़-4: दिनांक 20.03.2024 के यूट्यूब वीडियो की सही अनुलिपि, जिसका शीर्षक है "बी.जे.पी प्रवक्ता *गौरव भाटिया को वकीलों ने कूट दिया गोदी मिडिया मुँह छिपाती फिर रही !* द न्यूज लांचर" प्रतिवादी सं. 2 द्वारा अपलोड किया गया है।	
5.	दस्तावेज -5: दिनांक 20.03.2024 का यूट्यूब वीडियो का सच्चा स्क्रीनशॉट जिसका शीर्षक है *"भाटिया स़ाहब की कुटाई की निंदा हो रही है || राजीव निगम|| #गौरवभाटिया"* प्रतिवादी सं. 2 द्वारा अपलोड किया गया है	कोई उपस्थिति नहीं हुआ, कोई दलील नहीं दिया गया।
6.	दस्तावेज-6: दिनांक 20.03.2024 के यूट्यूब वीडियो की सच्ची अनुलिपि जिसका शीर्षक है "*भाटिया* स़ाहब की कुटाई की निंदा हो रही है || *राजीव निगम*|| *#गौरवभाटिया*" प्रतिवादी सं. 4 द्वारा अपलोड किया गया है	
7.	दस्तावेज-7: दिनांक 20.03.2024 के यूट्यूब वीडियो का सही स्क्रीनशॉट, जिसका शीर्षक है "*गौरव भटिया* के स़ाथ वकीलों ने की नोंक-झोंक, *गौरव भाटिया का मजेदार मीम्स वायरल वीडियो" प्रतिवादी सं. 5 द्वारा अपलोड*	वीडियो हटा लिया गया, कोई दलील नहीं दिया गया।

	किया गया	
8.	दस्तावेज़-8: दिनांक 20.03.2024 के यूट्यूब वीडियो का सच्ची अनुलिपि, जिसका शीर्षक है "*गौरव भटिया* के साथ वकीलों ने की नोंक-झोंक*, गौरव भाटिया का मजेदार मीम्स वायरल वीडियो*" *प्रतिवादी सं. 5 द्वारा अपलोड किया गया*	
9.	दस्तावेज़-9: प्रतिवादी सं. 6 (@एक्टिविस्टसंदीप) द्वारा दिनांक 20.03.2024 को किए गए पोस्ट का सच्चा स्क्रीनशॉट	तर्क दिया गया।
10.	दस्तावेज़-10: प्रतिवादी सं. 7 (@यादवविजय88) द्वारा दिनांक 20.03.2024 को किए गए पोस्ट का सच्चा स्क्रीनशॉट	कोई उपस्थित नहीं हुआ, कोई तर्क नहीं दिया गया।
11.	दस्तावेज़-11: प्रतिवादी सं. 8 (@नेटफ्लिक्स इंडिया) द्वारा दिनांक 20.03.2024 को किए गए पोस्ट का सच्चा स्क्रीनशॉट	कोई उपस्थित नहीं हुआ, कोई तर्क नहीं दिया गया।
12.	दस्तावेज़-12: प्रतिवादी सं. 9 (@सनमोर2901) द्वारा दिनांक 20.03.2024 को किए गए पोस्ट का सच्चा स्क्रीनशॉट	कोई तर्क नहीं दिया गया ।

13.	दस्तावेज़-13: प्रतिवादी सं. 10 (@गुरूजी_123) द्वारा दिनांक 20.03.2024 को किए गए पोस्ट का सच्चा स्क्रीनशॉट	कोई उपस्थित नहीं हुआ, कोई तर्क नहीं दिया गया।
14.	दस्तावेज़-14: प्रतिवादी सं. 11 (@दाऊदनदीफ़10) द्वारा दिनांक 20.03.2024 को किए गए पोस्ट का सच्चा स्क्रीनशॉट	तर्क नहीं दिया गया। वीडियो को निजी बना दिया गया है।
15.	दस्तावेज़-15: प्रतिवादी सं. 12 (@दमबितपात्रा12) द्वारा दिनांक 20.03.2024 को किए गए पोस्ट का सच्चा स्क्रीनशॉट	कोई उपस्थित नहीं हुआ, कोई तर्क नहीं दिया गया।
16.	दस्तावेज़-16: प्रतिवादी सं. 13 (@वाइरस_स्टूडियोज़) द्वारा दिनांक 20.03.2024 को किए गए पोस्ट का सच्चा स्क्रीनशॉट	कोई उपस्थित नहीं हुआ, कोई तर्क नहीं दिया गया।
17.	दस्तावेज़-17: प्रतिवादी सं. 7 (@यादवविजय88) द्वारा दिनांक 21.03.2024 को किए गए पोस्ट का सच्चा स्क्रीनशॉट	कोई उपस्थित नहीं हुआ, कोई तर्क नहीं दिया गया।

49. उपरोक्त चार्ट से, यह स्पष्ट है कि प्रतिवादी सं. 7 से 13 तक के पोस्टों पर कोई तर्क नहीं दिया गया है और उनकी विषय-वस्तु को देखते हुए, उन्हें प्रतिवादी सं. 14 और 15 द्वारा प्लेटफार्मों से हटाया जा सकता है।

50. जहां तक क्रम सं. 1 और 14 में उल्लिखित वीडियो का संबंध है, उन्हें निजी बना दिया गया है और न्यायालय के आदेश के बिना सार्वजनिक रूप से उपलब्ध कराए जाने से रोक दिया गया है।

51. जहां तक क्रम सं. 3 पर दस्तावेज़/वीडियो का संबंध है, जिसमें कहा गया है कि "भाजपा प्रवक्ता *गौरव भाटिया* को वकीलों ने कूट दिया *गोदी मीडिया* मुँह छिपाती फिर रही *!",* यह सार्वजनिक रूप से रहेगा। यहां की गई टिप्पणियां मामले के गुणागुण पर प्रतिबिंब नहीं हैं।

52. उपरोक्त चर्चा से, यह निर्देश दिया जाता है कि एक्स पोस्ट / ("अनुलग्नक -1" के रूप में संलग्न यू.आर.एल.) जिसे हटाया नहीं गया है, मध्यवर्ती दिशानिर्देशों के अनुसार प्रतिवादी सं. 6 से 13 द्वारा सात दिनों के भीतर हटा दिया जाए। आगे यह निर्देश दिया जाता है कि जो वीडियो लोकाधिकारी क्षेत्र में हैं, उसे प्रतिवादी सं. 14 द्वारा निजी बनाया जाए और इस न्यायालय के आदेश के बिना लोकाधिकारी क्षेत्र में नहीं डाला जाए।

53. तदनुसार आवेदन का निपटान किया जाता है।

<u>सि.वा. (मू.प.) 274/2024</u>

54. अभिवचनों को पूरा करने के लिए संयुक्त रजिस्ट्रार के समक्ष 02.05.2024 सूचीबद्ध करें।

(नीना बंसल कृष्णा)

न्यायाधीश

16 अप्रैल, 2024

एस. शर्मा/आर.एस.

अनुलग्नक -1 *यू.आर.एल. की सूची*

1. https://www.youtube.com/watch?v=CJtuh5MVsC4
2. https://www.youtube.com/watch?v=re0suTu uu6Fk
3. https://www.youtube.com/watchn?v=BI_nxxyVukE
4. https://www.youtube.com/watch?v=JmhJuMuCEzE
5. https://www.x.com/ActivistSandeep/status/1770335850909372847?s=20
6. https://x.com/ActivistSandeep/status/1770370747560538202?s=20
7. http://x.com/ActivistSandeep/status/1770387237559275637?s=20
8. https://x.com/ActivistSandeep/status/1770392188813500717?s=20
9. https://x.com/yadavvijay88/status/1770365949105082862?s=20
10. https://x.com/yadavvijay88/status/1770366501125763308?s=20
11. https://x.com/yadavvijay88/status/1770377259419066795?s=20
12. https://x.com/yadavvijay88/status/1770419368200908942?s=20
13. https://x.com/NetaFlixIndia/status/1770367604042924444?s=20
14. https://x.com/sunmor2901/status/1770371607762211186?t=kTX08AzhNI3UdRSnQ8g6g&s=08
15. https://x.com/GURUJI_123/status/1770371769490407722?t=J31IyrHsAxRC_a06zshuBA&s=08
16. https://x.com/DawoodNadaf10/status/1770389475698639052?t=qHfFZWUMbnP_TxUpAwXeIQ&s=08
17. https://x.com/dumbitpatra12/status/1770412401340432633?s=20
18. https://x.com/Virus_Studioz/status/1770426819629531647?s=20
19. https://x.com/yadavvijay88/stauts/1770727929250500761?s=20

(Translation has been done through AI Tool: SUVAS)

अस्वीकरण : *देशी भाषा में निर्णय का अनुवाद मुकद्दमेबाज़ के सीमित प्रयोग हेतु किया गया है ताकि वो अपनी भाषा में इसे समझ सकें एवं यह किसी अन्य प्रयोजन हेतु प्रयोग नहीं किया जाएगा। समस्त कार्यालयी एवं व्यावहारिक प्रयोजनों हेतु निर्णय का अंग्रेज़ी स्वरूप ही अभिप्रमाणित माना जाएगा और कार्यान्वयन तथा लागू किए जाने हेतु उसे ही वरीयता दी जाएगी।*